

पर्यंत अपील के संपादन तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि माधीसिंह के नाम तक 6 एसजीएस के पं० सं० 61/129 का दो बीघा तथा पं० सं० 62/129 का 3 बीघा कुल 5 बीघा तक 7 एस जी एस के पं० सं० 69/132 का दो बीघा पं० सं० 68/132 का 10 बीघा पं० सं० 67/132 का 6 बीघा कुल 18 बीघा दोनों चकों का कुल रकबा 23 बीघा खातेदारी रकबा था। माधीसिंह के देहान्त के बाद उसकी पत्नी श्यामकौर बेवा माधीसिंह के नाम से जारिये वसीयत दिनांक 26-11-77 के नाम खातेदारी दर्ज हो गया। तत्पश्चात् श्यामकौर ने अपने जीवनकाल में उक्त 23 बीघा की वसीयत दिनांक 2-1-79 को अपनी पुत्री जंगीरकौर पत्नी जोरसिंह के

अन्तर्गत तहसीलदार, सादुलशहर के आदेश दिनांक 30-11-12 के विरुद्ध पर्यंत अपीलाट द्वारा पर्यंत अपील पं० राजरव अष्टिनियम की धारा 75 के

आदेश दिनांक : 04-11-15

1. श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, अपीलाधी
2. श्री खलपाल सिंहग, राजकीय अधिवक्ता, रेस्यो सं० 1 से 10
3. श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्यो सं० 11

उपस्थित :

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार सादुलशहर इंतकाल सं० 474 दिनांक 30.11.12

रेस्योइन्टस

1. नक्षत्रसिंह पुत्र श्री बख्तावरसिंह जाति कुम्हार साकिन संगरिया जिला
2. छिन्दपालकौर
3. अक्कीकौर
4. बसो पुत्रोयान भोगसिंह जाति कुम्हार साकिन भिठड़ी जिला मुक्तसर(पजाब)
5. नक्षत्रसिंह
6. बलदेवसिंह
7. गुरभलसिंह
8. जसमलसिंह पिसरान सम्पूर्णसिंह जाति कुम्हार साकिन भिठड़ी जिला मुक्तसर
9. बलवीरकौर
10. नक्षीबकौर पुत्रोयान सम्पूर्णसिंह जाति कुम्हार साकिन भिठड़ी जिला मुक्तसर
11. तहसीलदार (पं० अभिलेख) सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।



बनाम

- अपीलाधी

बीरबलसिंह पुत्र श्री जोरसिंह जाति कुम्हार निवासी तख्तहजारा तहसील सादुलशहर।

अपील इंतकाल प्रकरण सं० 4/13



पीठाधीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर०ए०एस०
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

श्री. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
 श्री. जिला कलेक्टर (राज.)

श्री. विना कलक्टर (प्रशासन)
श्री. विना कलक्टर (राज.)


मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार माथीसिंह का देहान्त दिनांक 30-3-78 को हो चुका था। श्यामकौर का देहान्त दिनांक 26-12-85 को हुआ है। ग्राम पंचायत तख्तहजारा की तस्दीक दिनांक 20-1-12 के अनुसार सदाकौर व जंगीरकौर का भी देहान्त हो चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार सदाकौर का देहान्त दिनांक 23-7-47 हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विना कब्जे व वारिसानों की जांच किए अधीनस्थ आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ इंतकाल तस्दीक किया गया है जबकि सदाकौर का देहान्त अधीनस्थ इंतकाल तस्दीक करने से लगभग 65 वर्ष पूर्व हो चुका था तथा जंगीरकौर का भी देहान्त हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे व वारिसानों की पूर्ण रूप से जांच नहीं की गई है और न ही नियमित वाद के विचारधीन होने की जानकारी प्राप्त की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।
बराबर 1.265 है 0 विरासतन इंतकाल दर्ज किया जाकर दिनांक 30-11-12 को इंतकाल के कालम सं 9 के अनुसार सदाकौर, जंगीरकौर पुत्रियां श्यामकौर बहिस्ता अधीनस्थ इंतकाल सं 0 474 श्यामकौर बेवा माथीसिंह के देहान्त के बाद न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ विधिसम्मत पारित किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।
राजकीय अधिवक्ता ने भी अपनी बहस में बताया है कि अधीनस्थ आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अधिकारों की घोषणा की जाएगी। इस प्रकार अपील की अपील सारहीन है, जो पक्ष नहीं की गई है। नियमित वाद जब अधीनस्थ न्यायालय में लिखित है तो वहां यहाँ वाद विचारधीन होने बाबत अपील के अधिवक्ता द्वारा कोई दरखास्तों साक्ष्य प्रार्थना पत्र अर्जमति बाबत पेश किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, सादुलशाहर के अन्तर्गत न्यायालय से कोई अर्जमति प्राप्त की गई है और न ही ऐसा कोई अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय में भी पक्षकार नहीं था और न ही धारा 96 सीपीसी प्रभावित पक्षकार नहीं है, इसलिए उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ इंतकाल विरासत दर्ज किया गया है जिसमें अधीनस्थ किसी तरह से रेसुइन्टस के अधिवक्ता ने लिखित बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ का निर्णय परमाया जावे।

18-2-14 को तस्दीक हो चुका है। इस प्रकार निवेदन किया है कि उपरोक्तानुसार डिक्री किया जा चुका है। डिक्री की पालना में इंतकाल सं 0 546 व 484 दिनांक वाद का निर्णय दिनांक 10-1-14 व 15-1-14 का अधीनस्थों के पक्ष में दावा आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, सादुलशाहर के न्यायालय में विचारधीन 26-3-14 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि अधीनस्थ की गई है। अधीनस्थ के अधिवक्ता ने बहस में यह भी कहा है कि दिनांक गया है। अधीनस्थ आदेश पारित करने से पूर्व कर्नली प्रावधानों की पालना नहीं कब्जे एवं वारिसानों को नोटिस एवं सूचना दिये अधीनस्थ आदेश पारित किया कारत की जांच नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विना किसी मौके के



श्री. विना कलक्टर (राज.)

वर्तमान में नियमित वाद का निस्तारण हो चुका है। अतः अपीलवादीन इंतकाल स्वीकृत करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक खिंटि की गई है। ऐसी स्थिति में पुनः जांच एवं निस्तारण हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलट आधिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलवादीन इंतकाल सं० 474 दिनांक 30-11-12 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, अपीलवादीन मुँसि के कब्जे, वारिसानों के संबंध में जांच करते हुए एवं नियमित वाद में उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10-1-14 व 15-1-14 को दृष्टिगत रखते हुए पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26-11-15 को उपस्थित हों। आदेश के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड वापिस भेजा जावे। आदेश आज दिनांक 04-11-15 को भरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सेनाया गया।



अधीनस्थ न्यायालय (प्रयागराज)
 श्रीमान् न्यायाधीश (अधीनस्थ न्यायालय)

4/11/15

अधीनस्थ न्यायालय (प्रयागराज)
 श्रीमान् न्यायाधीश (अधीनस्थ न्यायालय)